न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,

जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 11/2019

वादीगणः– बनाम प्रतिवादीगणः–

1. दुर्गाराम पुत्र भेरूलाल
जाति–देवासी, निवासी–देवासी
की ढाणी रास–2,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. सोहनी पत्नी देवीजी
जाति–मेहरात, निवासी–भीवगढ
रास–2, तहसील–जैतारण
2. तहसीलदार,जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः.11.01.2019

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश कुमार चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 05/11/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा भीवगढ पटवार हल्का रास–2, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बर 2239/3 रकबा 4–05 बीघा किस्म सेवज अव्वल की आयी हुई है। जिसमें 1/2 हिस्सा वादी का है तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीया का है। उक्त भूमि की चालू जमाबंदी इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को वादपत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से सुविधा की दृष्टि से जाना जायेगा। विवादित भूमि में वादी का 1/2 वां हिस्सा है तथा शेष 1/2 वां हिस्सा प्रतिवादिया का है। उक्त भूमि मौके पर पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से अलग–अलग बंटी हुई है लेकिन राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। उक्त सामलाती राजस्व रेकर्ड में भूमि दर्ज होने की वजह से प्रतिवादीया आये दिन इस भूमि के नाप–चौप व माठ को लेकर वादी से विवाद करते रहे है। प्रतिवादिया ने दिनांक 07/12/2018 को रात्रि के समय मौका देखकर वादी के हक हिस्से की भूमि की माठ बिखेर दी तब सुबह वादी द्वारा प्रतिवादीया और उसके परिवार वालों को समझाइश करने पर उन्होने विवाद किया जिसपर वादी ने प्रतिवादिया से इस भूमि का कोई बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाने को कहा। लेकिन प्रतिवादिया ऐसा बंटवाड़ा कराने से इंकार कर दिया तथा वादी से विवाद करने का ऐलानिया कथन किया तब ऐसी परिस्थितियों में वादी के पास अदालत श्रीमान् के समक्ष यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वाद बाबत् बंटवाड़ा का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादिया के सादर पेश है। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीया के बीच पूर्व से मौके पर अलग–अलग बंटी हुई है। तथा अलग–अलग माठे भी कायम की हुई है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीया आये दिन वादी से लडाई झगडा व विवाद करते रहे है। तथा दिनांक 07/12/2018 को प्रतिवादिया ने वादी के खेत की माठ को बिखेर दी है तथा मना करने पर लड़ाई झगड़ा व विवाद किया है। तथा प्रतिवादीया ने भविष्य में वादी से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लड़ाई झगड़ा कर लाठी के बल पर वादी को इस विवादित भूमि से बेकाबिज करने की ऐलानिया धमकी भी दी है। इस प्रकार से यदि उक्त प्रतिवादिया वादी को लाठी लकड़ी के बल पर इस विवादित भूमि से बेकाबिज कर देते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। साथ ही वादी इस विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादिया के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेंगें। जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिंग होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अदालत श्रीमान् के समक्ष यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादिया के पेश है। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी है जिनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वादी का यह वादपत्र अत्यंत ही आवश्यक प्रकृति का है दो माह की अवधि पूर्व होने तक प्रतिवादिया वादी को इस भूमि से पूर्णतया बेदखल कर देंगे। तब ऐसी परिस्थितियों में नोटिस देना डिस्पेन्स विथ कर यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। जिसके बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। बिनाय वाद दिनांक 07/12/2018 को प्रतिवादीया द्वारा रात्रि के समय मौका देखकर वादी के खेत की माठ बिखेर देने एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करने से इंकार करने पर बमुकाम भीवगढ पटवार हल्का रास-2 तहसील जैतारण जिला-पाली में पैदा हुआ जो अंदर मियाद एवं अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादी बाबजुद सम्मनस् सूचना/ तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वादी दुर्गाराम की ओर से वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ पत्र पी डब्लयु-1 पेश किया, सा.मि. है। बहस वकील वादी सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादी अपनी आराजी का तकासमा चाहता हैं। लिहाजा माफिक राजस्व रेकर्ड वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा भीवगढ पटवार हल्का रास-2, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 2239/3 रकबा 4-05 बीघा किस्म सेवज अव्वल की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/374 दिनांक 01/06/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/3271 दिनांक 27/06/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा भीवगढ पटवार हल्का रास–2, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बर 2239/3 रकबा 4–05 बीघा किस्म सेवज अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	सोहनी पत्नी देवी कौम मेहरात सा. भींवगढ खातेदार	2239/7	2-03	सेवज अव्वल	2.15
2	दुर्गाराम पुत्र भेरूलाल कौम देवासी सा.रास खातेदार	2239/3	2-02	सेवज अव्वल	2.10

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 05/11/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादीगणः– बनाम प्रतिवादीगणः–

1. दुर्गाराम पुत्र भेरूलाल
जाति–देवासी, निवासी–देवासी
की ढाणी रास–2,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. सोहनी पत्नी देवीजी जाति–मेहरात,
निवासी–भीवगढ रास–2,
तहसील–जैतारण
2. तहसीलदार,जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 11/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है सरहद मौजा भीवगढ पटवार हल्का रास–2, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बर 2239/3 रकबा 4–05 बीघा किस्म सेवज अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	सोहनी पत्नी देवी कौम मेहरात सा. भींवगढ खातेदार	2239/7	2-03	सेवज अव्वल	2.15
2	दुर्गाराम पुत्र भेरूलाल कौम देवासी सा.रास खातेदार	2239/3	2-02	सेवज अव्वल	2.10

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... –......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05/11/2019 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.27 16:54:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: